

डिक्री मुकदमा इब्तदाई 6

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपरकठ अधिकारी मुकाम टोडाभीम
 जलास पीठसीन अधिकारी जगदीश आर्य R. A. S.

उजवान

श पुत्र नंगूराम
 पु पुत्र निहालसिंह
 मनसिंह बं. रंजुआ
 शरफ रागुलाल
 नन्दर द. नंगूराम
 शजरि मिवासी भाकौली
 वील - टोडाभीम

बनाम

सरकार जरिये जिला कलेक्टर कोरौली
 तहसीलदार टोडाभीम
 हरिसिंह 1 बृजमोहन 2
 जगमोहन पि के ली जाति ब्रा
 निवासी नन्दपुरा हलवासी
 रवा खालियान कांगजली त
 कथानां जिला भरतपुर
 3 पौरा पुत्र कुमुल
 मुकदमा नं० 53 सन् 2011

बाबत इन्डाज इरुक्ती एणं स्पायी

यह मुकदमा आज वास्तु इनफिसाल कतई स्वई **श्री सुरेश चन्द्रशर्मा A. D. O.** व हाजिरी
 मिनकानिब गुदई स्वई **हमारे**

निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावावादी मुखिलाल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश
 दिये जाते हैं कि साक्षिक ख. नं. 1, 23 जो लालाराम को पुत्र
 नन्दपुरा - तहसील - टोडाभीम के साक्षिक सीट के अनुसार
 जमीन सीट इकट्ठा कर प्रतिवादीगण की साक्षिक प्रतिवारी
 के मुताबिक जमीन सीट में उनके ख. नं. अंकित किये जावे तथा
 बाबरकबा सीट में नदी पेटे का रहेगा। ख. नं. 18, 8/695
 8/696 54/697 अंकित किये जावे तथा नवीन सीट इकट्ठा
 करने के लिए तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं।

ज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करें।

सब्त से मुहर अदालत के आज तारीख **8-7-2015** माह सन्

2015 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत **उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (कोरौली)**
 ओहदा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।